क्रम संख्या–58 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र 27, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 204/XXXVI(3)/2018/40(1)/2018

देहरादून, 17 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 20 वर्ष, 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20/2018)

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए :–

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को विवर्जित करते हुए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 5 का संशोधन

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप धारा 5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

(5) परिषद में निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे:–

(क) मंत्री आवास विभाग, उत्तराखण्ड–अध्यक्ष, पदेन,

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन–कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य पदेन,

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन–पदेन सदस्य,

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन –पदेन सदस्य,

(ड़) प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ,उत्तराखण्ड शासन–पदेन सदस्य,

(ण) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक– पदेन सदस्य,

(च) निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट रूडकी– पदेन सदस्य,

(छ) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग– पदेन सदस्य,

(ज) वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण–पदेन सदस्य,

मूल नियम की धारा 82 का संशोधन–

मूल अधिनियम की धारा 82 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

82 (1) आवास आयुक्त नोटिस देकर धारा 73 के अभिदिष्ट भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे भवन का आगे निर्माण करना रोक दे और उसमें ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के

भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जाये, परिवर्तन करें, या रोकने का आदेश पारित करें अथवा ऐसे विकास को ऐसी रीति से सील करने हेतु जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इस प्रयोजन हेतु विहित किये जाये,निर्देश देने के लिए कोई आदेश पारित करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस का पालन न किया जाये तो आवास आयुक्त भवन अथवा उसके किसी भाग में, यथास्थिति, परिवर्तन कर सकेगा अथवा रोकने का आदेश पारित कर सकेगा, अथवा ऐसे विकास को ऐसी रीति से सील कर सकेगा अथवा ध्वस्त कर सकेगा और ऐसा करने मे जो व्यय हुआ है उसे आवास आयुक्त उसके स्वामी से भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कर सकेगा।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 204/XXXVI(3)/2018/40(1)/2018
Dated Dehradun, April 17, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (U.P. Avas Evam Vikas Parishad Act, 1965) (Amendment) Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya: **20** of **2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 16 April, 2018.

The Uttarakhand (U.P. Avas Evam vikas Parishad Act, 1965) (Amendment) Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 20 of 2018)

The Uttarakhand (U.P. Avas evam Vikas Parishad Act, 1965) (as applicable in the State of Uttarakhand) further to amend the context of Uttarakhand State.

AN

ACT

It is hereby enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixtyninth year of the Republic of India as follows:-

Short name extent and commencement **1.** (1) This Act may be called the Uttarakhand (U.P. Avas evam Vikas Parishad Act, 1965) (Amendment) Act, 2018.

(2) It extends to the whole of Uttarakhand State excluding cantonment Area.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Sub-section 5 of section 3 of Principal Act **2.** In section 3 of the Uttarakhand (U.P. Avas evam Vikas Parishad Act, 1965) herein after referred as Principal Act, Sub-section 5 shall be substituted as follows, namely-

(5) There shall be following chairman/members in the Board-

(a) Minister Housing Department, Uttarakhand Chairman - ex officio.

(b) Principal Secretary/Secretary Housing Department Uttarakhand Government Acting Chairman/member- - ex- officio.

(c) Principal Secretary/Secretary, Finance Uttarakhand Government -- ex- officio member.

(d) Principal Secretary/Secretary, Urban Development Department Uttarakhand Government--ex-officio member.

(e) Principal Secretary/Secretary Public enterprise bureau Uttarakhand Government--ex- officio member.

(f) Chief town and village Planner-- ex- officio member.

(g) The Director Central Building Research Institute, Roorkee-- ex- officio member.

(h) Chief Engineer, Public Works Department, member-- ex - officio.

(i) Finance Controller, Uttarakhand Planning and Town Development Authority- ex officio member.

Amendment of Section 82 of the Principal Act

3. The Section 82, of the Principal Act shall be substituted as follows, namely-

82(1) The Housing Commissioner may by notice require the owner of a building referred to in Section 73 to stop further work and to alter or demolish the same in such manner and within such time as specified in the notice or shall pass such order for direction to seal development in such manner as prescribed under the provisions of this Act.

(2) Where the notice under Sub-section (1) is not complied with the Housing Commission may cause the building or any portion thereof to be altered or pass the order to stop as the case may be or seal the such development in such manner or demolish and the Housing Chairman may recover the expenses incurred in so doing from the owner as the arrears of land revenue.

By Order,

MEENA TIWARI,
Principal Secretary.

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद् के बोर्ड की पुनर्गठन एवं परिषद् के नियंत्रणाधीन आवास विकास परियोजना में अनाधिकृत निर्माणों को सील करने के आदेश निर्गत किए जाने आवश्यक है।

इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं और इस संशोधन के फलस्वरूप उसके परिणामिक संशोधन में लिए मूल अधिनियम की धारा 3 (5) एवं 82 को संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

2— उपरोक्त विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 20 विधायी/230—2018—100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।